

## “प्रेस विज्ञप्ति”

दिनांक 24.07.2021

### पुलिस मुठभेद के उपरान्त विद्युत तार चोर गिरोह के 03 अन्तर्जनपदीय सदस्य चोरी के 58 किलोग्राम विद्युत तार, अवैध असलाह कारतूस, 02 साईकिल, तार काटने के उपकरण आदि सहित थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 24-07-2021 को थाना औरंगाबाद पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मोटर तार चोरी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य साइकिल पर सवार होकर मोटर तार चोरी करने के उद्देश्य से ग्राम जमुनाठेर की तरफ देखे गये है। इस सूचना पर थाना औरंगाबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुठभेद के उपरान्त जमुनाठेर तिराहा, ग्राम बालका के पास से 03 अभियुक्तों को समय करीब प्रातः 05.30 बजे अवैध असलहा, कारतूस, तार काटने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्तों की निशादेही पर विभिन्न घटनाओं में चोरी किया गया विद्युत तार अभियुक्त आलम के घर से बरामद किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- आलम पुत्र खानमोहम्मद मेवाती निवासी मौहल्ला मर्दान वाली गली फैसलाबाद थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 2- मुन्तियाज उर्फ भगत जी पुत्र फखरुद्दीन निवासी गली नम्बर 01 मौहल्ला टांडा C/O शमसेर स्याना अड्डा थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 3- जितेन्द्र पुत्र शिवदयाल निवासी वर्मा वाली गली अनुपशहर अड्डा थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

#### बरामदगी का विवरण-

- 1- 58 किलोग्राम विद्युत तार (तांबा)
- 2- 02 तमचें 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस
- 3- 01 छुरा नाजायज।
- 4- 02 साईकिल
- 5- तार काटने के उपकरण आदि।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2020 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र के ग्राम बकौरा व सूरजवाली के जंगल से एक रात में करीब 10 ट्यूबैलो से मोटर तार चोरी किए थे तथा दिनांक 30-05-2021 को ग्राम ईलना के जंगल से 7 मोटरो के तार तथा दिनांक 02-06-2021 को पुनः ग्राम ईलना के जंगलों से 05 ट्यूबैलों से चोरी करने की घटनाएं कारित की गयी थी जिनके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर क्रमशः मुअसं-1170/21 धारा 379 भादवि, मुअसं- 1104/21 धारा 379 भादवि, मुअसं- 1109/21 धारा 379 भादवि, मुअसं- 1112/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त दिनांक 14-03-2021 को चोला चौकी क्षेत्र के ग्राम नैथला हसनपुर के जंगलों से 04 ट्यूबैलों से मोटर तार व अन्य सामान चोरी की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 07/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री योगेन्द्र मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद
2. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
3. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार
4. का0 दीपक, का0 नितिन कुमार, का0 अमित कुमार, का0 मनीष शर्मा, का0 दुर्गेश शर्मा, हे0का0 अन्नत कुमार